प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 687/2006

कोरम : **माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और**

माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता : 1. विवेक शुक्ला, पिता श्री सी. एल. शुक्ला, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– मकान क्र.108, त्रिमूर्ति चौक, सुंदरनगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)

2. डॉ. तुलसीदास मरकाम, पिता श्री राम चंद्र सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी– सी/ओ–सावित्री यादव, ग्राम–बड़े उरला, पोस्ट अभनपुर, जिला–रायपुर (छ०ग०)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)

2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, द्वारा अध्यक्ष, जिला रायपुर(छ०ग०)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ताओं के लिए श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

: राज्य के लिए श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता।

: उत्तरवादी क्र. 2 के लिए श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 5.4.2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश एसआर नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:–

इस रिट याचिका में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसे संक्षेप में "आयोग" कहा गया है, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सेवाओं में लगभग 181 पदों को भरने के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, 2005 को पूरी तरह से रद्द करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल ने राज्य के अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं में रिक्तियों की पूर्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) के नियम विरचित किये हैं, जिन्हें राज्य सेवा परीक्षा नियम (संक्षेप में 'नियम') कहा गया है, और आयोग को इस संबंध में वार्षिक रूप से परीक्षा आयोजित करने और चयनित अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार के विचारार्थ संबंधित राज्य सेवाओं में उनकी नियुक्ति के लिए भेजने के लिए सशक्त किया है। तदनुसार और निबंधनों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लगभग दिनांक 27.8.2005 को एक रोजगार अधिसूचना जारी की और उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें विभिन्न संवर्गों में लगभग 181 पदों की पूर्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। परीक्षा में दो चरण शामिल थे; (i) प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु; और (ii) मुख्य परीक्षा (लिखित और साक्षात्कार), अभ्यर्थियों के अंतिम चयन हेतु।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. नियोजन अधिसूचना के जवाब में, वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित 79,953 अभ्यर्थियों ने उक्त पदों के लिए आवेदन किया। उनमें से 60,592 अभ्यर्थी अनुसूची के अनुसार दिनांक 6.11.2005 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम दिनांक 19.12.2005 को घोषित किए गए थे और इन्हें दिनांक 28.12.2005 को रोजगार और योजना में प्रकाशित किया गया था। 2716 याचिकाकर्ताओं सहित अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की।

4. दिनांक 20.12.2005 को, आयोग ने इंटरनेट पर मॉडल उत्तर पत्र जारी किए और जिससे शिकायत किये जाने पर एक विवाद खड़ा हो गया कि कुछ मॉडल उत्तर पत्र में गलत उत्तर दिखाए गए हैं और कुछ प्रश्नों आदि के सामने किसी भी उत्तर का उल्लेख नहीं किया गया है।

5. आयोग ने उपरोक्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 13.1.2006 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 19.12.2005 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम रद्द कर दिए और नई प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया तथा उस निर्णय की सूचना दिनांक 18.1.2006 को रोजगार और नियोजन में प्रकाशित की गई।

6. आयोग की उपरोक्त कार्रवाइयों से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "7 .ईप्सित अनुतोष:– याचिकाकर्ताओं ने सबसे सम्मानपूर्वक निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना कीः
>
> "7.1 कि, माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण के पूरे अभिलेख मंगाने की कृपा करें।
>
> 7.2 कि उत्तरवादी क्र. 2 का आक्षेपित निर्णय दिनांक 13/1/2006, जो दिनांक 4/1/06 को अनुलग्नक पी/10 के माध्यम से प्रकाशित हुआ था, को निरस्त करने की कृपा करे।

7. रिट याचिका को आयोग द्वारा जवाबदावा दाखिल करके चुनौती दी गई है। अपने जवाबदावा में, उनके द्वारा कथन किया गया है कि जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा मॉडल उत्तर पुस्तिकाओं की तैयारी में तकनीकी त्रुटियां आ गई थीं, तो उसने न केवल प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम रद्द करने अपितु नई प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का आक्षेपित कदम उठाया; और यह कि उसका निर्णय सद्भावनापूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

8. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित और आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव को सुना। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को रद्द करने का औचित्य था, परंतु प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और नई प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गलत है क्योंकि मॉडल उत्तर तैयार करने और उन्हें परीक्षा नियंत्रक द्वारा वेब–साइट पर डालने में गलतियाँ हुई हैं, तो उस गलती को ठीक किया जा सकता है और पहले से उपलब्ध उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही मॉडल उत्तरों के अनुसार किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. तथापि, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आयोग के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, निर्णय के लिए जो प्रश्न उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या आयोग ने न केवल प्रारंभिक परीक्षा, 2005 के परिणामों को रद्द करने में, अपितु उक्त परीक्षा को रद्द करने और राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा को फिर से आयोजित करने का निर्णय लेने में न्यायानूमत और विधिक रूप से कार्रवाई की है?

11. हम आयोग की उस कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकते, जहाँ तक उसने प्रारंभिक परीक्षा, 2005 के परिणामों को रद्द कर दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम इस आधार पर रद्द कर दिए हैं कि वेबसाइट पर अपलोड किए गए मॉडल उत्तर गलत थे और यदि उन्हें मान्य माना जाता, तो इससे उन अभ्यर्थियों के साथ

अन्याय होता जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था और सही उत्तर लिखे थे। हालांकि, हम आयोग के उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें उसने वर्ष 2005 की प्रारंभिक परीक्षा को ही रद्द कर दिया और राजकोष के खर्च पर तथा अभ्यर्थियों के जोखिम और असुविधा के बावजूद लगभग 80,000 अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आयोग के पास प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने का कोई ठोस कारण नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं आयोग के पास उपलब्ध हैं और वेबसाइट पर दिए गए सही मॉडल उत्तरों के अनुसार उनका आसानी से और सही मूल्यांकन किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई, जो काफी व्यवहार्य और व्यावहारिक है, राज्य के साथ–साथ विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक खर्च से बचाएगी और साथ ही आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा दोबारा आयोजित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधा और कठिनाई से भी बचाएगी। इसलिए, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने का आयोग का निर्णय पूरी तरह से मनमाना, अनुचित है और यह अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। आयोग के उस निर्णय से किसी भी जनहित की पूर्ति नहीं होगी। यदि इसे यथावत रहने दिया गया तो यह जनहित के साथ–साथ विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के हितों के लिए भी हानिकारक होगा। यद्यपि अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय विश्वविद्यालय और उसके शैक्षणिक निकायों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धैर्य रखता है, फिर भी इस मामले में एक ठोस आधार बनता है जो हमारे हस्तक्षेप को उचित ठहराता है। हम आश्वस्त हैं कि हस्तक्षेप करने से हमारे इनकार के परिणामस्वरूप सार्वजनिक रिष्टि होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और आयोग के उस निर्णय को रद्द करते हैं जिसमें नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, 2005 के परिणामों को रद्द करने का निर्णय यथावत रहेगा। हालाँकि, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

अंजनी

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur